



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 4167-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2018-54-अ0प्र0-07/16

दिनांक 30.10.2018

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में विज्ञापन सं0 02/विसेआ/2016/ए0ई0 के माध्यम से चयनित हुए अधोअंकित सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) जिनकी नियुक्ति कारपोरेशन पत्र सं0-3281-अ0प्र0-07/पाकालि/16, दिनांक 31.08.2016 द्वारा की गई है, की निर्धारित ऑन जॉब प्रशिक्षण एवं आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त उनका विनियमितीकरण करते हुए उनको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न एवं अस्थायी सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0 संवर्ग) के पद पर उपरोक्त सन्दर्भित नियुक्ति पत्र में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन विनियमित किया जाता है एवं उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में इंगित डिस्कॉम/इकाई में तैनात किया जाता है:-

इलेक्ट्रिकल

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि/गृह जनपद / श्रेणी सर्वश्री	अनुक्रमांक	सहा0अभि0 (प्रशिक्षु) (वै0 एवं या) के पद पर वर्तमान तैनाती डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान संख्या	विनियमितीकरण पश्चात नवीन तैनाती डिस्कॉम/इकाई
1	2	3	4	5	6
1	गजेन्द्र मनोहर/इन्द्र शेखर लाल कर्ज/21.03.1986/सीतामढी बिहार/ सामान्य	1EL07839	पारेषण	2017663	पारेषण
2	जितेन्द्र कुमार गुप्त/बृज लाल/ 10.01.1992/इलाहाबाद/ सामान्य	1EL04006	पूर्वांचल	2017664	पूर्वांचल
3	अजीत उपध्याय/जय गोपाल उपध्याय/23.05.1990/फिरोजाबाद/ सामान्य	1EL08780	दक्षिणांचल	2017665	दक्षिणांचल
4	विवेक शर्मा/दिनेश चन्द्र शर्मा/ 01.07.1989/आगरा/ सामान्य	1EL02135	दक्षिणांचल	2017666	दक्षिणांचल
5	संदीप प्रजापति/शिव सागर प्रजापति/ 20.10.1992/जौनपुर/अ0पी0व0	1EL01255	पूर्वांचल	2017667	पूर्वांचल

- उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर पावर कारपोरेशन द्वारा भविष्य में समय समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम एवं आदेश लागू होंगे।
- उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर कारपोरेशन में वर्तमान में प्रभावी अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ) 2004 एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे।
- उपरोक्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन पर, यदि अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक

अभियन्ता की सेवाये बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

5. उपरोक्तानुसार सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक यात्रा अवधि एवं सामान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा एवं कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

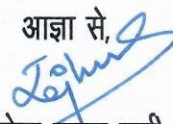
प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 4167(1)-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2018, तददिनांक(30.10.2018)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशकगण उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक-पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को कानपुर।
3. महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को उनके पत्रांक 316/वि0प्र0सं0(ल0)/18, दिनांक 09.04.2018 के सन्दर्भ में।
4. मुख्य अभियन्ता कम्प्यूटराइजेशन इकाई उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपसचिव (03/04/गोपन) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशाषी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0: 407 उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण।
9. वैयक्तिक पत्रावली।
10. कट फाइल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उपसचिव (07)